पत्रांकःके.रा.फा./जैत./कृषि/10-47(आ.सो.)/**2024–25**/ दिनांक : 20-05-2024

ई-निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर(राज.) वर्ष 2024-25 में (2+1 वर्ष) निविदा की नियम व शर्तो के अनुरूप कृषि कार्यो को हिस्सा आधारित पध्दति के माध्यम से बीजोत्पादन करने हेतु चक चक **2 BGD का 132.00 हैक्ट., 4 BGD का 78.00 हैक्ट., 6 MGM inside area IWM-II pivot A, 4 MGM pivot 238.00 हैक्ट., 2-3 JKSM का 172.60 हैक्ट., 2-1 JKM का 170.00 हैक्ट., 2, 4 & 6 MGM outside area का 174.20 हैक्ट., 1SAD & EPO का 146.00 हैक्ट., 2 SAD का 195.20 हैक्ट., IWM-II (B) Pivot, 9-10 SAD Pivot & rainfed area, IWM-I & IWM-II(C) Pivot & balance area IWM-II का 310.00 हैक्ट.,** 5 SAD Pivot & balance area 5 SAD **का** 159.20 **हैक्ट. और** 7 SAD Pivot & balance area 7 SAD **का** 163.00 **हैक्ट. (Total area 1938.20 हैक्ट.)** क्षेत्र के लिए ई-निविदा दिनांकः 03.06.2024 को दोपहर 02.30 बजे तक निविदाएं आंमत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर 03.00 बजे खोली जायेगी। उक्त कार्य के लिए **धरोहर राशि अखरे रूपये 1,000/– (एक हजार रुपये) प्रति हैक्टेयर एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 1180-/ (Rs.1100/- + GST charge 18%) जो नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक, बाजूवाला** *(IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्याः 4153 2435 884)*/NEFT/RTGS/ BG (बैंक गारंटी) **जमा करना होगा।** ई-निविदा संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 09.30 बजे से सांय 4.00 तक कार्यालय से प्राप्त की जा **सकती है।** जिसकी विस्तृत जानकारी **एवं अन्य नियम व शर्ते** निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com **तथा ई-पोर्टल** https://indiaseeds.enivida.com पर देखी जा सकती है। आगे कोई भी सूचना/शुद्विपत्र होगा तो निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com **तथा ई-पोर्टल** https://indiaseeds.enivida.com पर ही डाला जायेगा। आगे कोई भी शुद्विपत्र वेबसाईट www.indiaseeds.com पर ही डाला जाएगा।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

Particulars	Details
Date of issue of NIT	20.05.2024
Date and time for submission of online bid	From 21.05.2024 10:00 AM To 03-06-2024 02.30 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode	03.06.2024 on 3:00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/ NEFT)	Rs. 1180.00 (Rs. 1100+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 1,000/- Per Hac.
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Jetsar (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Incharge (Prodn.) Phone No.- 01498-261261, Email : csf.jetsar@indiaseeds.com

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

पत्रांकः के.रा.फा./जैत./कृषि/10-47(आ.सो.)/2024–25/ दिनांकः 20.05.2024

	Check list for Technical Requirement of Tender	
S.No.	**Particulars**	**Details**
1	**Name of the E-Tenderer**	
2	**Father name of the E-Tenderer**	
3	**Full address of the E-Tenderer**	
4	**Mobile number of the E-Tenderer**	
5	**E-mail ID of the E-Tenderer**	
6	**Copy of Pan Card**	
7	**Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.**	
8	**Copy of Bank Passbook**	
9	**Name of the bank (by which the EMD has been deposited)**	
10	**Details of Deposit EMD (DD /NEFT/RTGS etc.)**	
11	**Total EMD deposited (without tender form value)**	
12	**Proposed area (in hectares) with name of Chak**	
13	**Signed copy of term & condition.**	
14	**Signed copy of chak wise target**	
15	**List of details of available agricultural machinery**	

<u>राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड</u>

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित उतपादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें ।

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 1000/- प्रति हेक्टेयर मात्र डी.डी./NEFT/RTGS/BG (बैंक गारंटी) द्वारा जमा करना होगी **<u>(जो एक अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो)</u>** जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के नाम पर देय हो,जमा कराना होगा। असफल निविदादाता की EMD वापस की जाएगी व सफल निविदादाता को फार्म से कार्य आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर सुरक्षा धन राशि 2000 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या बैंक गारंटी के माध्यम से फार्म में जमा करनी होगी । बैंक गारंटी कार्य आदेश जारी होने से कम से कम ढाई वर्ष आगे तक मान्य होनी चाहिए । जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़वाया जा सकता है । सफल निविदादाता की बयाना राशि (ईएमडी), सुरक्षा निधि जमा करने पर वापस कर दी जाएगी, या उसके लिखित अनुरोध के बाद सुरक्षा जमा राशि में समायोजित की जा सकती है यदि सफल निविदादाता 15 दिनों के अन्दर शेष सुरक्षा राशि जमा नही करते है तो जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी । कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर सुरक्षा राशि, बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी । निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्थाई पता और बैंक खाते का विवरण देना होगा ।
2. **अगर किसी निविदादाता की आउटसोर्सिंग के समय में और उसके उपरान्त देय भुगतान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा जिसको निविदादाता के द्वारा टेंडर भरते समय नामित करना होगा। नामित करने हेतु निविदादाता को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर संबंधित व्यक्ति को नामित करते हुए इसके साथ उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जमा करने होगे तथा इस पर नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर को निविदादाता के द्वारा प्रमाणित करना होगा।**
3. **निविदादाता टेंडर बॉक्स में निविदा डालने के बाद यदि निविदा वापिस लेना चाहता है तो वह निविदा देने के निर्धारित समय से पहले निविदा वापसी का प्रार्थना पत्र दे कर निविदा वापिस ले सकता है परन्तु निर्धारित समय के बाद निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में उच्चत्तम दर (फार्म का हिस्सा) देने वाले सफल निविदादात्ता द्वारा किसी भी कारण से कार्य न करने की अवस्था में जमा अमानत राशि (EMD) वापिस नहीं की जाएगी।**
4. **खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एंव बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे और ऐसे उर्वरक व कृषि रसायन जिनसे जमीन की क्षारियता व लवणीयता के कारण उत्पादकता प्रभावित हो उनका प्रयोग करने से पूर्व फार्म से स्वीकृति लेनी होगी। उर्वरक मे नैनो यूरिया का फसल में छिड़काव के रूप मे उपयोग कर सकता है । बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (NSC ग्रोवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा बीज खरीद के समय पर ही 50 प्रतिशत किया जाएगा तथा बकाया 50 प्रतिशत बीज राशि की कटौती 70 प्रतिशत देय अग्रिम भुगतान राशि में से समायोजित की जाएगी। किसान को दिये जाने वाले बीज**

(planting material) की दर grower programme में दी गई पॉलिसी के अनरूप की जाएगी। जिसके लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की दरों को आधार माना जाएगा, यदि क्षेत्रीय कार्यालय पर उस प्रजाति या फसल का उत्पादन नहीं है तब फार्म समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। गेहूं की फसल में प्रोपोकोनाजोल (फंगीसाइड फफूदनाशक) दवा का छिडकाव, करनाल बंट नामक बीमारी के नियंत्रण के लिये करना अनिवार्य होगा । यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबंध नहीं कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिडकाव कराएगा तथा इसको करवाने पर दवा, साधन व अन्य किसी भी मद में फार्म खर्च राशि की कटौती निविदादाता के 70 प्रतिशत अग्रिम भुगतान राशि में से समायोजित की जाएगी । कार्यों हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।

5. **खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुबाई-उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ सफाई, फसल निराई गुडाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, काटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुंचा कर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक आपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ व गुणवत्ता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी। फार्म के हिस्से का निर्धारण टेंडर के माध्यम से दो वर्ष:-** वर्ष 2024-25 में खरीफ 24, रबी 2024-25 व जायद 25 के सीजन में एवं निविदा की नियम व शर्तों के अनुरूप सफल निविदादाता वर्ष 2024-25 में कार्य संतोषजनक करने पर वर्ष 2025-26 में खरीफ 25, रबी 2025-26 व जायद 26 में तथा वर्ष 2024-25 व वर्ष 2025-26 दोनों वर्षो के सभी सीजन में सफल निविदादाता द्वारा कार्य संतोषजनक करने एवं अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक महोदया, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत वर्ष 2026-27 में खरीफ 26, रबी 2026-27 व जायद 27 के लिए **निर्धारित फसलों के उत्पादन में से किसान के न्यूनतम हिस्से के आधार पर किया जायेगा जो (2+1) वर्ष के लिए मान्य रहेगा। निविदादाता को उसके देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 70 प्रतिशत आग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्ति होने पर किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उत्पाद में से रिकवरी प्राप्त होने व फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जाएगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मों के लिये श्रीगंगानगर (मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) व हिसार फार्म के लिए हिसार मण्डी के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जिसका समय इस प्रकार होगा :- धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उडद, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, सरसों व चना 16 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 16 मई से 15 जून होगा तथा हिसार फार्म के लिये गेहूं व जौ 15 मई से 30 जून होगा। यदि किसी दलहन फसल की जींस की दर हिसार/हरियाणा मण्डी में नहीं मिलती है तो यू0पी0 की निर्धारित मण्डी की दर पर भुगतान करने का प्रावधान किया जायेगा । जई या अन्य किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निश्चत नहीं होता है और स्थानीय मंडी में भी आवक नहीं होने पर, संस्था की खरीद नीति के अनुसार फार्म प्रमुख द्वारा गठित समिति के द्वारा स्थानीय मंडी, मार्केट, किसानो, ट्रेडर्स, प्रोसेसर जो बीज से संबंधित लेने-देने करते है से संपर्क कर खरीद दर निर्धारित की जायेगी ।**

क. यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोडा जाएगा।

ख. किसी अन्य फसल की उपज (निविदाकर्ता का हिस्सा) जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नही किया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकी कृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा। 30 दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के दौरान संबंधित फसल की अधिकतम और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारित की जाएगी। फसल अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम की न्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।

ग. जूट एवं सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा) क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद के प्रोक्यूरमैंट प्राइस से 20 प्रतिशत कम दर पर खरीदे जायेगे। यदि किसी भी फसल का प्रोक्यूरमैंट प्राइस क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद में उपलब्ध नहीं है, तब खरीद मूल्य निगम की निर्धारित प्रोक्यूरमैंट प्राइस के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसानों को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।

घ. यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिश अथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभावित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त/ फीके रंग के/ खराब हो जाते है, तब ऐसी परिस्थितियों में,निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नहीं करेगा और कुल उपज में से फार्म के हिस्से की उपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकार निविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

ङ. खलिहान पर रा सीड के भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त/ विचलित/ खराब/ फीका/ कीटग्रस्त/सूखा अनाज/ मिटटी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात 15 प्रतिशत से अधिक पाए जाते है तब ऐसे लाट की सफाई (निविदाकर्ता द्वारा) स्वयं के खर्चेपर करनी होगी और रा सीड गैर-बीज की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला गैर-बीज यदि कोई, तो क्रमश: फार्म के हिस्से को रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दिया जाएगा ।

च. निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुंचाए कम्बाइन मिक्सचर तथा रोगिंग मैटिरियल की मात्रा में से निविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गई मात्रा को रख कर शेष मात्रा को निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा ।

छ. फार्म द्वारा raw seed का intake करते समय यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि raw seed की quality सही हो एवं कचरा मिट्टी, चूरी, खरपतवार बीजों आदि से पूर्ण तरह मुक्त हो ताकि seed recovery निश्चित सीमा से अधिक आए व processing losses भी कम से कम रहे। हिस्सा आधारित पद्धति से उत्पादित किसानों से प्राप्त raw seed की फसलवार न्यूनतम तय की गई Seed Recovery percentage:-

क्रम स०	**फसल का नाम**	**न्यूनतम seed recovery %**
खरीफ <u>फसल</u>		
	बाजरा, धान	80%
	मूंग,मोठ,उर्द,गवार,अरहर	78%
	मूंगफली, तिल	75%
<u>रबी फसल</u>		
	गेहूँ, जौ	80%
	चना,सरसों,तोरिया,अलसी	78%

	जई	75%

शेष अन्य फसलें 78%

यदि seed recovery निश्चित न्यूनतम सीमा से कम आती है तब एसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति इसका आंकलन करेगी तथा फार्म हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कटौती करने का निर्णय लेगी जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।

Rate to be fixed if recovery received less than crop wise percentage fixed

$$\frac{\text{Actual seed recovery X Rate/P.Q}}{\text{Crop wise seed recovery percentage fixed}}$$

6. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा ।
7. यदि किसी कारणवश फार्म सफल निविदादाता को आधारीय / प्रमाणिक बीज उत्पादन कार्यक्रम का वितरण नहीं कर पता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक फसलों का कार्यक्रम आवंटन सफल निविदादाता को किया जाएगा, व्यवसायिक फसलों उत्पाद का फार्म हिस्सा ही रखा जाएगा और निविदादाता का हिस्सा उनको ले जाना होगा उसका भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जाएगा ।
8. निविदादाता द्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पहुँचा कर उतारने तक का कार्य सम्बंधित चक इंचार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वंय वहन करेगा ।
9. निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदादाता फार्म चक पर ट्यूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदादाता की सहमति से निणर्य होगा कि टयूबवैल फार्म पर रखने हैं या निविदादाता उखाड कर ले जायेगा। टयूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। **अगर निविदादाता संबंधित चक पर स्थित ट्यूबवैल का उपयोग करना चाहता है तो फार्म प्रशासन से इसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा इस पर आने वाले समस्त खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। निविदादाता को सिचांई/डिग्गी भरने हेतु नहर मे समय समय पर आने वाले पानी के बहाव के दौरान ही निम्नानुसार वर्णित चकों मे पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगाः–**

क्र सं0	चक	दिन व समय
1	2 BGD	सम्पूर्ण पानी नहर मे उपलब्धता के अनुसार
2	4 BGD	सम्पूर्ण पानी नहर मे उपलब्धता के अनुसार
3	6 MGM Inside area, IWM-II Pivot (A), 4 MGM Pivot,	120.00 घंटे बुधवार दोपहर 12:00 बजे से सोमवार दोपहर 12:00 बजे तक
4	2-1 JKM	सम्पूर्ण पानी नहर मे उपलब्धता के अनुसार
5	2,4 &6 MGM (outside area of 6 MGM	6 MGM आऊटलेट का 48.00 घन्टे पानी सोमवार दोपहर 12:00 बजे से बुधवार दोपहर 12:00 बजे तक एवं 2 & 4 MGM का सम्पूर्ण पानी, 2 MGM (C) मोगा को 24 घंटे फार्म डिग्गी के लिए देना होगा सोमवार सुबह 8:00 बजे से मंगलवार सुबह 8:00 बजे तक, 5 MGM डिग्गी भरने के लिए 4 MGM मोगे का पानी सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक रहेगा।
6	2-3 JKSM	सम्पूर्ण पानी नहर मे उपलब्धता के अनुसार
7	2 SAD	2 SAD B आऊटलेट का सम्पूर्ण पानी एवं 2 SAD A आऊटलेट का पानी मंगलवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सांय 9 बजे (15 घंटे) तक, 1 SAD & EPO को देने के बाद शेष उपलब्ध पानी
8	IWM-II (B) Pivot, 9-10 SAD Pivot and rainfed area, IWM-I & IWM-II C (Pivot) and balance area of IWM-II	IWM-I आऊटलेट का 48.00 घन्टे पानी सोमवार सुबह 6:00 बजे से बुधवार सुबह 6:00 बजे तक व IWM-II का सम्पूर्ण पानी
9	1 SAD & EPO	EPO 136.00 घन्टे बुधवार शाम 4:00 बजे से मंगलवार सुबह 8:00 बजे तक व 1SAD का सम्पूर्ण पानी ,इसके अलावा 2 SAD आउटलेट A का पानी मंगलवार सुबह 6:00 बजे से मंगलवार सायं 9:00 बजे तक (15.00 घंटे)
10	5 SAD Pivot balance area 5 SAD	5 SAD का सम्पूर्ण पानी
11	7 SAD Pivot balance area 7 SAD	7 SAD का सम्पूर्ण पानी

10. बीज उत्पादन के लिए पृथककरण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदादाता को चक प्रभारी खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होगें। बीज प्रमाणीकरण से संबधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुन: निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदादाता को भरनी होगी। **यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद में से फार्म का हिस्सा रख कर किसान का हिस्सा किसान को वापिस कर दिया जाएगा।**

11. विभिन्न प्रकार के कार्यो के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवंम दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेंदारी निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ, टीडीएस, दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी का दायित्व निविदादाता का होगा। यदि फार्म को किसी मामले में निविदादाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पडा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे को निविदादाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा ।

12. कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भर कर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध

कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।

13. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर में लिया जायेगा।

14. संबधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (undertaking) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हें वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पति का निविदादाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निमार्ण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई निविदादाता से वसूली जायेगी।

15. संबधित प्रक्षेत्र पर पशुधन एवंम अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।

16. संबधित प्रक्षेत्र पर कौन सी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एंव सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबंधन द्वारा घटाया व बढाया जा सकता है।

17. निविदा में दिये गये एरिया को कम व ज्यादा करने एवं निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।

18. फसल कटाई के उपरांत पशु भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।

19. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा यदि फार्म का कृषि उपकरण मशीनरी उपयोग में आई तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा।

20. हिसार फार्म पर गेहूं फसल के अलावा व राजस्थान के फार्मों पर सभी फसलों का नीरा गूणा (भूसा व तूडी) निविदादाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वंय करेगा।

21. फसल कटाई, गहाई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवं फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।

22. प्रत्येक फसल के प्रति हेक्टर न्यूनतम उत्पादन का लक्ष्य उस चक पर प्राप्त गत पाँच वर्षों में से अधिकतम तीन वर्षों की फसलवार प्रति हेक्टर उपज के आधार पर भारित लक्ष्य **(weighted Yield Target)** से निर्धारित किया जायेगा। यदि प्रस्तावित चक/एरिया पर किसी फसल की पिछले 5 वर्षों में किन्ही कारणों से उत्पादकता अपेक्षा से कम रही है या उस फसल का उत्पादन इन 5 वर्षों में इस चक पर नहीं लिया गया है तब ऐसी स्थिति में फार्म अपने स्तर पर इस चक पर उस विशेष फसल की उत्पादकता का लक्ष्य निगम के हित को ध्यान में रखते हुए निश्चित करेगा।

23. यदि सामान्य परिस्थितियों में उत्पादन, निविदा में दिए गए न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य से कम आता है तो निविदादाता एनएससी के उत्पादन लक्ष्य में कमी की भरपाई करेगा । यदि विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पुर्वानुमान नियंत्रण /निदान सम्भव नहीं है जैसे (युद्ध, बाढ़, भूकंप, तूफान, ओला, पाला, तालाबंधी, नागरिक दंगे, हड़ताल, हंगामा, सूखा पड़ना, महामारी इत्यादि) की वजह से किसी प्रकार का फसलों मे नुकसान होता है उसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा फार्म प्रशासन को 10 दिन के अन्दर देनी होगी । फार्म के द्वारा इस प्रकार के नुकसान के आंकलन हेतु गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दी जाएगी, जो कि दोनों पक्षो को मान्य होगी । प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रति हेक्टर कम उत्पादन प्राप्त होने पर लक्ष्य का पुनः निर्धारण (Revised Target) हेतु निम्न फार्मूला उपयोग मे लाया जाएगा। जिसमे प्रभावित सभी

आउटसोर्स चकों की प्राप्त हुई भारित वास्तविक उपज का दिये गए भारित उत्पादन लक्ष्य प्रति हेक्टर के आधार पर करना है :-

$$\frac{\text{Cropwise weighted Actual Avg. Yield of all affected Outsourcing chak's of Concerned Block or weighted Avg. Yield cultivated by farm of Concerned Block (whichever is higher)}}{\text{Cropwise Target of weighted Avg. Yld. Of all affected Outsourcing chak's of Concerned Block}} \times \text{Cropwise targeted Avg. Yld. of Chak}$$

जिस चक पर प्राकृतिक आपदा के पश्चात भी प्रति हेक्टर न्यूनतम उत्पादन का लक्ष्य के बराबर या अधिक प्राप्त होता है, ऐसे चक को इस फार्मूला मे सम्मलित नहीं किया जाएगा । यदि किसी एक ही चक पर अन्य चकों की अपेक्षा ज्यादा बार प्राकृतिक आपदा के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो इस प्रकार नुकसान का आकंलन फार्म की गठित समिति द्वारा करने के पश्चात प्रति हेक्टर उत्पादन लक्ष्य पुनः निर्धारण **(Revised Target)** किया जाएगा, जो की दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

24。 निविदादाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिर्पोट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर भी अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।

25 निविदादाता द्वारा कीट व बीमारी प्रबंधन के लिये अधिकतर क्षेत्र में आई.पी.एम. प्रक्रिया अपनानी होगी ।

26 फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

27 यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेडी है तो निविदादाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेडछाड नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।

28 निविदादाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।

29 हिस्सा आधारित खेती में आउटसोर्सिंग का कार्य (दो) वर्ष (खरीफ, रबी व ग्रीष्म) के लिए होगा, प्रथम वर्ष में प्राप्त उत्पादन लक्ष्य की पुनः समीक्षा, फार्म द्वारा की जाएगी । यदि कृषि कार्यों के समय किसान की ओर से लापरवाही देखी जाती है तो फार्म, समय-समय पर किसानों के पंजीकृत पते पर या ईमेल द्वारा विधिवत पावती के साथ लिखित नोटिस भेजेगा । यदि कोई प्राकृतिक या भौतिक बाधा न होने के बावजूद उत्पादन संतोषजनक नही है तो एनएससी के विवेक पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है ।

यदि हिस्सा आधारित किसान का फसल उत्पादन दो वर्षों में संतोषजनक रहता है, उस स्थिति में फार्म समिति की अनुशंसा के आधार पर फार्म प्रमुख, सीएमडी की स्वीकृति के उपरांत हिस्सा आधारित कार्य को अगले एक वर्ष के लिए (समान नियम और शर्तों पर) आपसी सहमति से बढ़ा सकता है ।

30 यदि निविदाताकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नहीं किया जाता है, तब फार्म निविदाताकर्ता के जोखिम एंव लागत पर निर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि से कार्य संचालन की लागत के साथ-साथ 5 प्रतिशत प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन में इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य में निविदा में भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।

31 निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- रू० के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा और उसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दी जायेगी।

32 नियमानुसार अंतिम भुगतान से पहले TDS, सभी कर व अन्य कटौतिया काटने के बाद ही भुगतान किया जाएगा

33 नाली के पानी का स्वतंत्र प्रवाह, उसका भंडारण व वितरण का सम्पूर्ण अधिकार फार्म का होगा ।

34 समय समय पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों/आदेशों की निविदादाता द्वारा अनुपालना करनी होगी।

35 इस निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सिविल/आपराधिक कार्यवाही का सामना करने का उतरदायित्व निविदादाता पार्टी का होगा।

36 निविदा में दिये सीजनवार क्षेत्र में उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार फसलवार बुआई क्षेत्रफल को आवंटित करने का अधिकार फार्म का होगा, जिसके अनुरूप निविदादाता को बुआई करनी होगी । दिये गए लक्ष्य के सापेक्ष में फसल/क्षेत्र का 10 प्रतिशत तक ज्यादा व कम का बदलाव फार्म प्रमुख की सहमति से किया जा सकता है।

37 सफल निविदादाता द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों को अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी और निविदादाता/ किसान / उत्पादक लिखित रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सभी श्रमिक किसी भी प्रकार की चोरी, क्षति में शामिल नही होंगे । कृषि सम्पतियों या किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों का सहारा नही लेंगे और एनएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नही करेंगे ।

यदि किसान या उसके द्वारा नियोजित कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो फार्म प्रमुख को "सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जेदार की बेदखली) अधिनियम, 1971" के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर, अवैध गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के फार्म के अन्दर प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है ।

38 यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे । यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा । इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा । कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे । मध्यस्थता नई दिल्ली में और अँग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर   नामित फार्म प्रतिनिधि

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः अनूपगढ़, राजस्थान – 335702
सी.आई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Anupgarh, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष / **Phone:01498-61202,**
वेबसाईट / **Website:** www.indiaseeds.com ईमेल / **E-mail-** csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्राकः के.रा.फा./जैत./कृषि/10-47(आ.सो.)/2023–24/ दिनांकः 20.05.2023

वर्ष 2024–25 हेतु फार्म द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपज सीमा प्रति हैक्टेयर (क्विंटल में)

		Block- I			Block- II					Block- III		
S.NO.	Name of crop	2 BGD	4 BGD	6 MGM Inside area, IWM-II Pivot (A), 4 MGM Pivot,	1 SAD & EPO	2-1 JKM	2-3 JKSM	2 SAD	2,4,6 MGM(Outside area of 6 MGM)	IWM-II(B) pivot, 9-10 SAD Pivot, IWM-I&II C (Pivot) and balance area in IWM-II	5- SAD Pivot balance area 5 SAD	7 SAD Pivot balance area 7 SAD
		Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
Kharif-2024												
1	Moong	8.97	6.10	7.82	10.23	7.96	10.85	10.11	9.32	9.51	8.06	6.98
2	Moth	4.98	1.71	5.55	3.84	1.67	4.53	6.13	1.79	3.96	2.85	1.81
3	Guar	5.40	3.94	10.09	10.76	6.46	8.80	9.26	11.68	9.61	6.06	4.95
4	G.Nut	7.80	10.91	6.63	10.91	7.72	14.17	10.91	9.37	15.06	6.89	9.87
5	Bajara	4.81	5.28	3.21	3.41	4.51	2.49	7.79	2.44	5.28	5.28	5.28
6	Til	5.43	3.53	3.53	3.53	2.48	5.06	3.53	2.62	4.41	3.53	3.53
7	Urd	3.64	3.64	5.46	5.25	3.64	3.64	3.64	3.26	3.64	3.64	5.76
Rabi-2024-25												
1	Mustard	13.02	12.10	11.70	17.21	12.54	16.43	13.67	13.67	14.21	14.19	14.12
2	Toria	9.83	9.83	6.69	7.23	14.08	10.50	7.35	10.71	9.83	7.40	9.83
3	Oat	6.18	13.93	8.45	12.43	12.43	10.87	14.42	6.16	16.96	10.46	11.33
4	Gram	7.48	6.29	8.69	13.93	4.68	16.49	8.45	9.53	12.52	8.45	8.19
5	Wheat	25.01	23.42	27.37	42.46	23.32	40.15	31.23	34.86	31.99	34.13	32.69
6	Barley	26.31	27.68	14.83	29.62	28.15	31.83	26.08	34.92	37.10	21.24	27.36
7	Taramira	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.45
8	Linseed	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
9	Radish	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
10	Coriander	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
11	Palak	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
12	Methi	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
							Summer-2025					
1	Moong	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06

वर्षा आधारित क्षेत्र में बुवाई की जाने वाली सभी फसलों एवं अन्य फसलों हेतू वास्तविक उपज के आंकडे ही चकवार लक्ष्य रहेगें।

Signature of E-tenderer..

Name and Full address of the E-Tenderer :–..
....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः अनूपगढ़, राजस्थान – 335702
सी.आई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Anupgarh, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष / **Phone:01498-61202,**
वेबसाईट / **Website:** www.indiaseeds.com ईमेल / **E-mail-** csf.jetsar@indiaseeds.com

Mobile number of the E-Tenderer :–..

पत्राकः के.रा.फा./जैत./कृषि/10-47(आ.सो.)/2023–24/ दिनांकः **20.05.2023**

Financial Tender Form

The rates for seed production through share based method on the land of various chaks of Central State Farm, Jetsar, District:- Anupgarh in instead of all agricultural activities and all inputs used and according to the terms and conditions prescribed by Central State Farm, Jetsar District Anupgarh the details are presented with the following information:-

1. Name and Full address of the E-Tenderer:–...
2. ID Proof no. i.e. Aadhar Card/Driving License etc.(with self attested copy)...
3. Mobile number of the E-Tenderer...
4. Pan card no.(with self attested copy):–...
5. Details of Deposit EMD (DD /NEFT/RTGS etc. Including no.) :–...

S.No.	The rate of crop produce in percentage to be charged by the e-tender			
	Name of the chak	**Total Area in hectares (Irrigated/unirrigated area)**	**Crop season, crop name and area (hectares)**	**The rate of crop produce share in percentage, which the farmer will take**
(Canal and tubewell water)				
1	2 BGD	Total Area 132.00 hectares (Irrigated:- 112.00 ha. & unirrigated:-20.00)	**Kharif 2024, 2025 & 2026 Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:- 50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.)**	------------------%
			Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27 Wheat, Barley & Oat:-50-60% area, Mustrad &Toria:-20-25% area, Gram & Other etc :-20-25% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.)	
			Summer 25,26 & 27 Moong (As per available area)	
2	4 BGD	Total Area 78.00 hectares (Irrigated:- 28.00 ha. & unirrigated:-50.00)	**Kharif 2024, 2025 & 2026 Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:- 50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.)**	------------------%
			Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27	

			Wheat, Barley & Oat:-50-60% area, Mustrad &Toria:-20-25% area, Gram & Other etc :-20-25% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.) **Summer 25,26 & 27** **Moong (As per available area)**	
3	6 MGM inside area IWM-II pivot A, 4 MGM pivot	Total Area 238.00 hectares (Irrigated:-234.00 ha. & unirrigated:-4.00)	**Kharif 2024, 2025 & 2026** **Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:-50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.) and in pivot area Groundnut 40-50% area & Other crops in 50-60%** **Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27** **Wheat, Barley & Oat:-40-50% area, Mustrad &Toria:-20-25% area, Gram & Other etc :-35-40% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.) and in pivot area Mustrad &Toria:- 40-50% & Other crops in 50-60%** **Summer 25,26 & 27** **Moong (As per available area)**	-------------------%
4	2-1 JKM	Total Area 170.00 hectares (Irrigated:-150.00 ha. & unirrigated:-20.00)	**Kharif 2024, 2025 & 2026** **Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:-50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.) and in pivot area Groundnut 40-50% area & Other crops in 50-60%** **Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27** **Wheat, Barley & Oat:-40-50% area, Mustrad &Toria:-20-25% area, Gram & Other etc :-35-40% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.) and in pivot area Mustrad &Toria:- 40-50% & Other crops in 50-60%** **Summer 25,26 & 27** **Moong (As per available area)**	-------------------%
5	2,4 &6 MGM (outside area of 6 MGM)	Total Area 174.20 hectares (Irrigated:-134.20 ha. & unirrigated:-40.00)	**Kharif 2024, 2025 & 2026** **Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:-50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.)** **Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27** **Wheat, Barley & Oat:-40-50% area, Mustrad &Toria:-20-25% area, Gram & Other etc :-35-40% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.)** **Summer 25,26 & 27** **Moong (As per available area)**	-------------------%
6	1 SAD & EPO	Total Area 146.00 hectares (Irrigated:-131.00 ha. & unirrigated:-15.00)	**Kharif 2024, 2025 & 2026** **Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:-50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.)**	-------------------%

			Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27 **Wheat, Barley & Oat:-40-50% area, Mustrad &Toria:-20-25% area, Gram & Other etc :-35-40% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.)**	
			Summer 25,26 & 27 **Moong (As per available area)**	
7	2-3 JKSM	Total Area 172.60 hectares (Irrigated:-150.00 ha. & unirrigated:-22.60)	**Kharif 2024, 2025 & 2026** **Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:- 50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.)**	-------------------%
			Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27 **Wheat, Barley & Oat:-35-45% area, Mustrad &Toria:-15-20% area, Gram & Other etc :-35-40% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.)**	
			Summer 25,26 & 27 **Moong (As per available area)**	
8	2 SAD	Total Area 195.20 hectares (Irrigated:-175.20 ha. & unirrigated:-20.00)	**Kharif 2024, 2025 & 2026** **Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:- 50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.)**	-------------------%
			Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27 **Wheat, Barley & Oat:-50% area, Mustrad &Toria:-25% area, Gram & Other etc :-20-25% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.)**	
			Summer 25,26 & 27 **Moong (As per available area)**	
9	IWM-II (B) Pivot, 9-10 SAD Pivot and rainfed area, IWM-I & IWM-II C (Pivot) and balance area of IWM-II	Total Area 310.00 hectares (Irrigated:-270.00 ha. & unirrigated:-40.00)	**Kharif 2024, 2025 & 2026** **Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:- 50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.) and in pivot area Groundnut 40-50% area & Other crops in 50-60%**	**-------------------%**
			Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27 **Wheat, Barley & Oat:-40-50% area, Mustrad &Toria:-20-25% area, Gram & Other etc :-35-40% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.) and in pivot area Mustrad &Toria:- 40-50% & Other crops in 50-60%**	
			Summer 25,26 & 27 **Moong (As per available area)**	
10	5 SAD Pivot balance area 5 SAD	Total Area 159.20 hectares (Irrigated:-139.60 ha. & unirrigated:-19.60)	**Kharif 2024, 2025 & 2026** **Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:- 50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.)**	-------------------%

			Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27 Wheat, Barley & Oat:-50-60% area, Mustrad &Toria:-20-25% area, Gram & Other etc :-20-25% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.)	
			Summer 25,26 & 27 Moong (As per available area)	
11	7 SAD Pivot balance area 7 SAD	Total Area 163.00 hectares (Irrigated:-157.40 ha. & unirrigated:-5.60)	**Kharif 2024, 2025 & 2026 Moong:- 40-50% area, Urd, Guar, Moth, Bajra, Til, Groundnut & Other etc.:- 50% area (In unirrigated area guar, Moth etc.)**	-------------------%
			Rabi 2024-25, 2025-26 & 2026-27 Wheat, Barley & Oat:-50-60% area, Mustrad &Toria:-20-25% area, Gram & Other etc :-20-25% area (In unirrigated area Mustrad, Taramira etc.)	
			Summer 25,26 & 27 Moong (As per available area)	

NOTE:- The percentage of sowing of Kharif, Rabi and Zaid crops given in the tender can be increased or decreased as per requirement.

NOTE:- In the above proposed chaks, if deep ploughing, pre irrigation, wetting, sowing etc. activities are done by the farm, then the same will be compensated/recovered from the first advance payment from the concerned share based farmer at the rate determined by the farm.

I have thoroughly read and understood all the terms and conditions of the E-tender. I agree to work as per the terms and conditions set out by the farm. I will submit an affidavit to this effect on non-judicial stamp paper of Rs 500 after the work is approved.

Signature of E-tenderer..

Name and Full address of the E-Tenderer :–..

Mobile number of the E-Tenderer :–..